सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 14, शुक्रवार, शाके 1945-अक्टूबर 06, 2023 *Asvina 14, Friday , Saka 1945- October 06, 2023*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 21, 2023

संख्या रा.वि.वि. आयोग/ सचिव/ विनियम क्रमांक 151 :-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 वां) की धारा 61, सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. लघुशीर्षक तथा प्रारंभण

(1) ये विनियम, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ़ विनिर्धारण हेतु निबंधन व शर्ते) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 1 के उपविनियम (2) में संशोधन।

विदयमान उप-विनियम (2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

उप-विनियम (2) में आने वाले शब्दों और अंकों, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, यानी, 31 मार्च, 2024" को "वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, यानी, 31 मार्च, 2025 तक" शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3.विनियम 4 में संशोधन।

विनियम 4 में आने वाले शब्दों और अंकों, "पांच (5) वित्तीय वर्षो " को "छह (6) वित्तीय वर्षो " शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. विनियम 16 के उपविनियम (1) में संशोधन।

विदयमान उप-विनियम (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

उप-विनियम (1) में आने वाले शब्द और अंक, "नियंत्रणावधि 2019-24" को "नियंत्रणावधि" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आयोग की आज्ञा से,

हिमांशु खुराना,

सचिव।

Rajasthan Electricity Regulatory Commission

Notification

Jaipur, September 21, 2023

No. RERC/Reg. No. 151 - In exercise of the powers conferred on it under Section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following Regulations, namely:

1. **Short Title and Commencement**

(1) These Regulations shall be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2023.

(2) These Regulations shall come into force from the date of publication of these Regulations in the official gazette.

2. Amendment in sub-regulation (2) of regulation 1.

The existing sub-regulation (2) shall be amended as under:

The words and figures appearing in sub-regulation (2), "upto FY 2023-24, i.e., March 31, 2024"shall be substituted with words and figures "upto FY 2024-25, i.e., March 31, 2025".

3. Amendment in regulation 4.

The words and figures appearing in regulation 4, "five (5) financial years" shall be substituted with words and figures "Six (6) financial years".

4. Amendment in sub-regulation (1) of regulation 16.

The existing sub-regulation (1) shall be amended as under:

The words and figures appearing in sub-regulation (1), "control period 2019-24" shall be substituted with words "control period".

By Order of the Commission,

Himanshu Khurana,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।